मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/उपविधि संशोधन/214/ 1682 **भोपाल, दिनांक** 24 **/07/2025**

आदेश

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रदेश की कृषि उपज मंडियों मे ई-मंडी पोर्टल, एमपी फार्मगेट एप एवं ई-नाम पोर्टल के संबंध में उपविधि में आवश्यक प्रावधान करने हेतु, प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों से "मंडी समितियो के लिये लागू उपविधि सन 2000" में संशोधन की अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 11/08/2025 तक उपविधि में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन अनिवार्य रूप से स्थापित करें।

मंडी समिति में सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि में मंडी समिति द्वारा उपविधि संशोधन करने में असफल रहने की स्थिति में उपविधि का उक्त संशोधन मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार मंडी समिति के द्वारा किए गए समझे जाएंगे और तदुपरांत संशोधन दिनांक 11/08/2025 से मंडी समिति पर आबद्धकर होंगे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार (पृष्ठ क्रमांक 01 से 20 तक)।

(कुमार पुरुषोतम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/उपविधि संशोधन/214/ 1683 **भोपाल, दिनांक** 24 **/07/2025**

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - __________(समस्त)। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलंब उपलब्ध कराएं।
4. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें। ई-मंडी पोर्टल, एमपी फार्मगेट एप पर आवश्यक प्रावधान भी सुनिश्चित करें।
5. भारसाधक अधिकारी / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति __________ जिला __________(समस्त)। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को अविलंब प्रेषित करें।
6. विधि शाखा/गार्ड फाईल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

ई-मंडी, एमपी फार्मगेट एप एवं ई-नाम हेतु उपविधि संशोधन -

उपविधि संशोधन		
उपविधि क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2	परिभाषाएं -	परिभाषाएं -
2	(ड) **"सौदा" से अभिप्रेत है मंडी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में जो मंडी प्रांगण में विक्रय हेतु नहीं आई हो किंतु मंडी क्षेत्र के मूल मंडी के बाहर के किसी स्थान के विक्रेता द्वारा नमूने के आधार पर घोष विक्रय द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को मंडी समिति के माध्यम से विक्रय की जाएं और मंडी में पदस्थ कर्मचारी द्वारा मंडी प्रांगण / उपमंडी प्रांगण / अथवा मंडी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर संपन्न कराया जाएं।**	(ड) **"सौदा / ऑनलाइन सौदा"** से अभिप्रेत है अधिसूचित कृषि उपज, जो मंडी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण में विक्रय हेतु नहीं आई हो किंतु मंडी क्षेत्र के किसी स्थान के विक्रेता/ कृषक द्वारा एमपी फार्मगेट एप पर व्यापार की विहित प्रक्रिया अनुसार क्रेता व्यापारी को विक्रय की गई हो, के संबंध में विक्रेता/ कृषक एवं क्रेता व्यापारी के मध्य ऑनलाइन निष्पादित सौदा।
	नवीन प्रावधान	(ल-1) **"नियम 2009"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिसूचित "मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009";
	नवीन प्रावधान	(ल-2) **"नियम 2016"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑनलाइन व्यापार एवं ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016;
	नवीन प्रावधान	(ल-3) **"ई-नाम पोर्टल"** से अभिप्रेत है कृषि उपज के ऑनलाइन व्यापार की सभी संबंधित गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार पोर्टल जोकि मंडी समिति के माध्यम से संचालित किया जा रहा है;

उपविधि संशोधन		
	नवीन प्रावधान	(ल-4) **"एमपी फार्मगेट एप"** से अभिप्रेत है, राज्य के कृषि उपज उत्पादक-कृषकों को अपने घर, खेत से ही अर्थात अधिनियम के अधीन गठित मंडी समिति के अधिसूचित मंडी प्रांगण/ उप मंडी प्रांगण के बाहर, अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बोर्ड द्वारा विकसित एवं प्रबंधित मोबाइल एप्लीकेशन जोकि मंडी समिति के माध्यम से संचालित किया जा रहा है;
16.	**अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय :-**	**अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय :-**
	(1) अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी मंडी की स्थापना होने पर;	(1) **(कोई संशोधन नहीं)**
	(क) घोष विक्रय प्रांगण के चिन्हित (अनुक्रमित) ले-आउट की एक प्रति मंडी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित की जाएगी।	**(क)** घोष विक्रय प्रांगण के चिन्हित (अनुक्रमित) ले-आउट की एक प्रति **मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण** के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित की जाएगी।
	(ख) प्रवेश पंजी में प्रविष्टि एवं अनुक्रमांक लेकर मंडी प्रांगण में वाहन प्रवेश करेगा।	**(ख)** मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण में प्रवेश करने वाले कृषि उपज के वाहनों को प्रवेश पंजी में प्रविष्टि अनुसार प्रवेश पर्ची जारी की जाएगी। कृषि उपज के वाहन उक्त प्रवेश पर्ची एवं अनुक्रमांक लेकर मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण में नियत स्थल पर प्रवेश करेंगे। **ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से विपणन कार्य के संबंध में प्रावधान** - मंडी के द्वारा विक्रेता कृषकों को पंजीकृत किया जाएगा, गैर-पंजीकृत विक्रेता कृषकों के लिए पंजीयन लगातार खुला रहेगा। संबंधित विक्रेता कृषकों को स्वयं पंजीयन कर सकने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त पंजीयन में विक्रेता कृषक का मोबाइल नंबर एवं बैंक खाते का विवरण अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंध

उपविधि संशोधन		
		संचालक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश यथास्थिति प्रभावशील होंगे। प्रदेश के कृषकों का विवरण, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश शासन से वेब सर्विस (Web Service) के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकेगा। मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण में प्रवेश करने वाले वाहनों को ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश पर्ची जारी की जाएगी। कृषि उपज के वाहन उक्त प्रवेश पर्ची के आधार पर मंडी प्रांगण में नियत स्थल पर प्रवेश करेंगे। कृषि उपज के विक्रेता / कृषक, ई-मंडी पोर्टल / मंडी प्रांगण/ उप मंडी प्रांगण में प्रवेश हेतु ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से स्वयं प्रवेश पर्ची जारी कर स्लॉट बुक करा सकेंगे। स्वयं स्लॉट बुक कराने वाले विक्रेता / कृषक, मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण में प्रवेश पर्ची क्रमांक अनुसार नियत स्थल पर प्रवेश करेंगे।
	(ग) वाहन/ ढेरी को लगाने के लिए स्थानों को क्रम दिया जाएगा और उन्हें कतारबद्ध रूप में लगाया जाएगा।	(ग) **(कोई संशोधन नहीं)**
	(घ) मंडी में प्रवेश करने वाले वाहन की प्रवेश पर्ची पर ऐसे स्थान का अनुक्रमांक अंकित होगा जहां उसे ढेरी लगाना है या वाहन खड़ा करना है।	(घ) **(कोई संशोधन नहीं)**
	(ङ) वाहन निर्धारित क्रमांक पर ही खड़ा करना होगा / ढेरी	(ङ) **(कोई संशोधन नहीं)**

उपविधि संशोधन

	लगाना होगी।	
	(च) नीलामी का क्रम एक नंबर से प्रारंभ होगा।	(च) **(कोई संशोधन नहीं)**
	(छ) वाहनों के प्रवेश एवं नीलामी के लिए कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय मैनुअल अध्याय-छः में दिये गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। औसत अच्छे किस्म (एफएक्यू) की कृषि उपज के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बोली प्रारंभ नहीं होगी। एक बोली से दूसरी बोली का अंतर एक रुपये से कम का नहीं होगा। मंडी प्रांगण में यथासंभव ग्रेडिंग की व्यवस्था उपलब्ध करी जाएगी। जिन मंडी समिति में ग्रेडिंग सुविधा उपलब्ध है उसमें शासन द्वारा जिन कृषि उपज की औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) निर्धारित है उसका मंडी में ग्रेडिंग अंतर्गत एफ.ए.क्यू. के समान मापदंड पाये जाने पर संबंधित कृषि उपज का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बोली प्रारंभ नहीं होगी।	(छ) **(कोई संशोधन नहीं)**
	(ज) साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अवकाशों के लिए मंडी समिति रबी फसल के लिए आयोजित क्रय योजना की विशेष सम्मेलन में वार्षिक अवकाश के दिन निर्धारित करेगी एवं सार्वजनिक रूप से प्रकाशन करेगी। परंतु मंडियों में साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त यदि निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंतर्गत घोषित बैंकिग	(ज) साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अवकाशों के लिए मंडी समिति, माह नवंबर - दिसंबर में आयोजित सम्मिलन में आगामी कैलंडर वर्ष के लिए वार्षिक अवकाश के दिन निर्धारित करेगी एवं सार्वजनिक रूप से प्रकाशन करेगी। परंतु मंडियों में साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त यदि **परक्राम्य लिखत अधिनियम,** 1881 **(निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट,** 1881**)**

उपविधि संशोधन			
	अवकाश या अन्य घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण लगातार दो दिवस या इससे ज्यादा मंडी मे अवकाश की स्थिति निर्मित हो रही होगी, तो मंडी समिति के लिए यह आवश्यक होगा की वह आंचलिक संयुक्त संचालक / उप संचालक के लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही ऐसे अवकाशों को घोषित करे अन्यथा नहीं। संयुक्त संचालक / उप संचालक आंचलिक कार्यालय, जनहित मे मंडी के द्वारा पूर्व घोषित अवकाश को निरस्त कर सकेंगे, परंतु उनके द्वारा मंडी अवकाश निरस्तीकरण के लिए विधिवत कारण सहित आदेश जारी किया जाएगा।		अंतर्गत घोषित बैंकिंग अवकाश या अन्य घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण लगातार दो दिवस या इससे ज्यादा मंडी मे अवकाश की स्थिति निर्मित हो रही होगी, तो मंडी समिति के लिये यह आवश्यक होगा की वह **संयुक्त संचालक / उप संचालक आंचलिक कार्यालय** के लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही ऐसे अवकाशों को घोषित करे अन्यथा नहीं। **संयुक्त संचालक / उप संचालक आंचलिक कार्यालय**, जनहित मे मंडी के द्वारा पूर्व घोषित अवकाश को निरस्त कर सकेंगे, परंतु उनके द्वारा मंडी अवकाश निरस्तीकरण के लिए विधिवत कारण सहित आदेश जारी किया जाएगा।
	(2) अधिनियम की धारा 36(3) के प्रावधानों के अनुसार कृषि उपज के मूल्य का निर्धारण खुले घोष विक्रय द्वारा किया जाएगा जिसका संचालन मंडी समिति के कर्मचारी द्वारा ही किया जाएगा। परंतु ऐसी कृषि उपज, जिसके लिए (शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार औसत अच्छी कृषि उपज) कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन कीमत घोषित की गई है, की कीमत उस कीमत से कम निर्धारित नहीं की जाएगी जो घोषित की गई है। मंडी प्रांगण में कोई भी बोली इस प्रकार नियत की गई कीमत से कम पर प्रारंभ नहीं होने दी जाएगी। नीलामकर्ता कर्मचारी द्वारा कृषि उपज की नीलामी, उस कृषि उपज के लिए शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से प्रारंभ की जाएगी औसत अच्छे किस्म की कृषि उपज का निर्धारण कलेक्टर द्वारा मनोनीत समिति करेगी, यही समिति इस संबंध में आये विवादों का निपटारा करेगी।	(2)	अधिनियम की धारा 36(3) के प्रावधानों के अनुसार **मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण में** कृषि उपज के मूल्य का निर्धारण खुले घोष विक्रय द्वारा किया जाएगा जिसका संचालन **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी के** द्वारा ही किया जाएगा। परंतु ऐसी कृषि उपज, जिसके लिए (**शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार औसत अच्छी कृषि उपज)** की राज्य सरकार द्वारा समर्थन कीमत घोषित की गई है, की कीमत उस कीमत से कम निर्धारित नहीं की जाएगी जो घोषित की गई है। मंडी प्रांगण में कोई भी बोली इस प्रकार नियत की गई कीमत से कम पर प्रारंभ नहीं होने दी जाएगी। नीलामकर्ता **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** द्वारा कृषि उपज की नीलामी, उस कृषि उपज के लिए शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से प्रारंभ की जाएगी। औसत अच्छे किस्म की कृषि उपज का निर्धारण कलेक्टर द्वारा मनोनीत समिति करेगी, यही समिति इस संबंध में आए विवादों का निपटारा

उपविधि संशोधन		
		करेगी।
	(3) नीलाम की बोली स्पष्ट लगाई जाएगी जिसका कि विक्रेता/ कृषक को भी ज्ञान हो सके। घोष विक्रय में किसी भी प्रकार के इशारों और संकेतो का प्रयोग नही किया जाएगा। **(क)** घोष विक्रय के दौरान इशारो एवं संकेतो का प्रयोग, (कॉर्टलाईजेशन) दुरभि संधि, कर प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने का प्रयास संज्ञान में आने पर अथवा विक्रेता/कृषक द्वारा शिकायत करने पर मंडी की उप समिति द्वारा मामले का स्थल पर तत्परता पूर्वक निराकरण करा जाएगा। उप समिति की रिपोर्ट पर मंडी समिति द्वारा उक्त अनियमितता में संलग्न पाए गए मंडी कृत्यकारी को प्रथम बार चेतावनी दी जा सकेगी, दूसरी बार अनियमितता में संलग्न पाये जाने पर आर्थिक दंड तथा निरंतर अनियमितता की पुनरावृत्ति करने पर क्रय-विक्रय पर रोक, अनुज्ञप्ति का निलंबन अथवा अनुज्ञप्ति निरस्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही मंडी समिति दवारा करी जाएगी।	(3) नीलाम की बोली स्पष्ट लगाई जाएगी जिसका की विक्रेता / कृषक को भी ज्ञान हो सके। घोष विक्रय में किसी भी प्रकार के इशारों और संकेतो का प्रयोग नही किया जाएगा। **(क)** घोष विक्रय के दौरान इशारो एवं संकेतो का प्रयोग, **दुरभि संधि** (कॉर्टलाईजेशन), कर प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने का प्रयास संज्ञान में आने पर अथवा विक्रेता / कृषक द्वारा शिकायत करने पर मंडी की उपसमिति द्वारा मामले का स्थल पर तत्परता पूर्वक निराकरण **किया** जाएगा। उपसमिति की रिपोर्ट पर मंडी समिति द्वारा उक्त अनियमितता में संलग्न पाए गए मंडी कृत्यकारी को प्रथम बार चेतावनी दी जा सकेगी, दूसरी बार अनियमितता में संलग्न पाए जाने पर आर्थिक दंड अधिरोपण की कार्यवाही की जाएगी तथा निरंतर अनियमितता की पुनरावृत्ति करने पर **अधिनियम, नियम, उपविधि के प्रावधानों के अंतर्गत** क्रय-विक्रय पर रोक, अनुज्ञप्ति **/ विशेष अनुज्ञप्ति** का निलंबन अथवा अनुज्ञप्ति **/ विशेष अनुज्ञप्ति** निरस्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही मंडी समिति द्वारा **की जाएगी / प्रस्तावित की जाएगी। आर्थिक दंड का निर्धारण मंडी समिति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन किया जा सकेगा।**
	(4) घोष विक्रय द्वारा मूल्य तय होने के पश्चात् मंडी कर्मचारी द्वारा विक्रता / कृषक के पक्ष में क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी तीन रंग की तीन प्रतियों में अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। सफेद प्रति मूल	(4) घोष विक्रय द्वारा मूल्य तय होने के पश्चात् **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** द्वारा विक्रेता / कृषक के पक्ष में क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी तीन रंग की तीन प्रतियों में अनुबंध निष्पादित किया

	उपविधि संशोधन	
	प्रति होगी। शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता/ कृषक को तथा गुलाबी रंग की प्रति क्रेता को दी जाएगी। अनुबंध प्ररूप - एक में निष्पादित किया जाएगा। अनुबंध पत्र पर मंडी समिति के कर्मचारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे और विक्रेता/ कृषक तथा क्रेता के हस्ताक्षरों के अभाव में भी उक्त अनुबंध निष्पादित समझा जाएगा व दोनो को अनुबद्ध करेगा। अनुबंध पत्र में मंडी समिति के कर्मचारी द्वारा प्रविष्टियां की जाएगी। परंतु मंडी क्षेत्र का विक्रेता / कृषक यदि अपनी अधिसूचित कृषि उपज को किसी कारणवश में मंडी प्रांगण में नहीं ला पाता है और नमूने के आधार पर कृषि उपज का विक्रय करना चाहता है तब नमूने के आधार पर उसका घोष विक्रय कराया जाएगा अथवा मंडी प्रांगण के बाहर यदि क्रेता व्यापारी एवं अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता / कृषक के की अधिसूचित कृषि उपज एम. पी. फार्मगेट एप में विहित प्रकिया अनुसार विक्रय मूल्य पर परस्पर सहमति बनती है तब आपसी सहमति के आधार पर ऐसे सौदे के संबंध में क्रेता व्यापारी द्वारा ऑनलाइन सौदा पत्रक जारी किया जाएगा। मंडी प्रांगण में के सिवाय, मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपजों का क्रय-विक्रय उपविधि कंडिका (31) के अधीन स्थापित क्रय केंद्रों पर भी संपन्न होगा।	जाएगा। सफेद प्रति मूल प्रति होगी। शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता/ कृषक को तथा गुलाबी रंग की प्रति क्रेता को दी जाएगी। **अनुबंध पत्रक प्ररूप - एक** में **जारी** किया जाएगा। अनुबंध पत्रक पर **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे और विक्रेता / कृषक तथा क्रेता के हस्ताक्षरों के अभाव में भी उक्त अनुबंध निष्पादित समझा जाएगा व दोनो को अनुबद्ध करेगा। अनुबंध पत्र में **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** द्वारा **समस्त** प्रविष्टियां की जाएगी। **<u>ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से विपणन कार्य के संबंध में प्रावधान</u> -** घोष विक्रय उपरांत विक्रय मूल्य तय होने के पश्चात् **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** द्वारा **ई-मंडी पोर्टल पर** विक्रेता / कृषक के पक्ष में **इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध प्ररूप - एक** में निष्पादित किया जाएगा। **इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध** जारी करते समय **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** द्वारा **इलेक्ट्रॉनिक** प्रवेश पर्ची का क्रमांक फीड करने पर विक्रेता / कृषक का संपूर्ण विवरण उपलब्ध हो जाएगा, **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** द्वारा घोष विक्रय में तय मूल्य तथा क्रेता व्यापारी का विवरण मात्र अंकित किया जाएगा। **इलेक्ट्रॉनिक** अनुबंध का प्रिंटआउट विक्रेता / कृषक को तथा क्रेता व्यापारी को प्रदान किया जाएगा। परंतु राज्य के कृषि उपज उत्पादक-कृषकों को अपने घर, खेत से ही अर्थात अधिनियम के अधीन गठित मंडी समिति के अधिसूचित मंडी प्रांगण एवं उप

उपविधि संशोधन				
				मंडी प्रांगण के बाहर, अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बोर्ड द्वारा विकसित एवं प्रबंधित तथा मंडी समिति के माध्यम से संचालित मोबाइल एप्लीकेशन एमपी फार्मगेट एप पर विक्रेता / कृषक एवं क्रेता व्यापारी के मध्य विक्रय मूल्य पर परस्पर सहमति बनती है तब आपसी सहमति के आधार पर ऐसे सौदे के संबंध में क्रेता व्यापारी द्वारा **कंडिका 17-क अनुसार ऑनलाइन सौदा पत्रक** जारी किया जाएगा। मंडी प्रांगण में के सिवाय, मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपजों का क्रय-विक्रय उपविधि कंडिका (31) के अधीन स्थापित क्रय केंद्रों **एवं नियम 2009 के अधीन स्थापित क्रय केंद्रों** पर भी एमपी फार्मगेट एप के माध्यम से संपन्न होगा।
	(5) अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने के पूर्व विक्रेता/ कृषक को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह घोष विक्रय द्वारा निर्धारित मूल्य पर अपनी कृषि उपज का विक्रय करने से मना कर दे तथा इस प्रकार ऐसे विक्रय को निरस्त कर दे अथवा सर्वोच्च बोली से नीचे की पहली बोली लगाने वाले क्रेता को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए सहमति प्रदान करें। परंतु अनुबंध निष्पादन के पश्चात् भी विक्रेता/ कृषक 5 रुपये शुल्क के साथ सचिव मंडी को कारणों का उल्लेख करते हुये अनुबंध रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और सचिव मंडी संक्षिप्त जांच के बाद आवेदन पर अपना निर्णय अंकित करेगा एवं आवेदन के निराकरण की वही प्रक्रिया होगी जैसी कि उपविधि (17) की कंडिका (8) के उल्लेखित है।		(5)	अनुबंध निष्पादित किए जाने के पूर्व विक्रेता / कृषक को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह घोष विक्रय द्वारा निर्धारित मूल्य पर अपनी कृषि उपज का विक्रय करने से मना कर दे तथा इस प्रकार ऐसे विक्रय को निरस्त कर दे अथवा सर्वोच्च बोली से नीचे की पहली बोली लगाने वाले क्रेता को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए सहमति प्रदान करें। परंतु अनुबंध निष्पादन के पश्चात् भी विक्रेता / कृषक, सचिव को कारणों का उल्लेख करते हुए अनुबंध **निरस्त** करने का आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और सचिव **या उसके द्वारा अधिकृत मंडी कर्मचारी** संक्षिप्त जांच के बाद आवेदन पर अपना निर्णय अंकित करेगा। आवेदन के निराकरण की वही प्रक्रिया होगी जैसी कि **उपविधि 17(8) में** उल्लेखित है।

		उपविधि संशोधन		
	(6)	उपविधि 16(5) के अंतर्गत विक्रय निरस्तीकरण शुल्क दस रुपया वसूल किया जाएगा। ऐसी कृषि उपज का घोष विक्रय, उस दिन के नियमित घोष विक्रय की समाप्ति के पश्चात् पुनः किया जाएगा और पुनः निरस्त होने पर विक्रय निरस्तीकरण शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।	(6)	उपविधि 16(5) के अंतर्गत विक्रय निरस्तीकरण उपरांत ऐसी कृषि उपज का घोष विक्रय, उस दिन के नियमित घोष विक्रय की समाप्ति के पश्चात् पुनः किया जाएगा। इसके उपरांत भी विक्रय को निरस्त करने के संबंध में उपविधि 16(5) एवं उपविधि 17(8) के प्रावधान लागू होंगे।
	(7)	**विलोपित**	(7)	**विलोपित (कृपया नोट देखें)**
17.	**अनुबंध पत्रक / सौदा पत्रक के निष्पादन के पश्चात् की प्रक्रिया:-**		**अनुबंध पत्रक के निष्पादन के पश्चात् की प्रक्रिया :-**	
	(1)	घोष विक्रय में क्रय की समस्त कृषि उपज की तौल या माप अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में की जाएगी।	(1)	घोष विक्रय में क्रय की गई समस्त कृषि उपज की तौल या माप अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में की जाएगी। **मंडी समिति द्वारा स्थापित तौलकांटे से एवं बीओटी तौलकांटे से जारी इलेक्ट्रानिक तौल पर्ची मान्य होगी।**
	(2)	सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज की तौल सौदा पत्रक में उल्लेखित स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा की जाएगी। बी.ओ.टी. तौलकांटे से जारी इलेक्ट्रानिक तौल पर्ची मान्य होगी।	(2)	**विलोपित (नवीन उपविधि कंडिका 17-क में प्रावधान अंतःस्थापित)**
	(3)	तौल के पश्चात वास्तविक वजन की "तौलपर्ची" अनुज्ञप्त तुलैया द्वारा प्ररूप - तीन में क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी तीन रंग की तीन प्रतियों में जारी की जाएगी। सफेद प्रति मूल प्रति होगी। शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता/ कृषक को तथा गुलाबी प्रति क्रेता को दी जाएगी। तौल पुस्तिका अनुज्ञप्तिधारी तुलैया को मंडी समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मंडी समिति	(3)	तौल के पश्चात वास्तविक वजन की **"तौलपर्ची"**, **अनुज्ञप्तिधारी** तुलैया द्वारा **प्ररूप - तीन** में क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी तीन रंग की तीन प्रतियों में जारी की जाएगी। सफेद प्रति मूल प्रति होगी। शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता / कृषक को तथा गुलाबी प्रति क्रेता को दी जाएगी। तौल पुस्तिका अनुज्ञप्तिधारी तुलैया को मंडी समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। **मंडी समिति द्वारा स्थापित तौलकांटे से एवं बीओटी**

उपविधि संशोधन		
	द्वारा स्थापित तौलकांटों की तौलपर्ची को भी मान्य किया जाएगा। **(क)** तौल पर्ची (पुस्तिका) तुलैयों को दिये जाने के पूर्व इसका पूर्ण अभिलेख (तौल पर्ची पुस्तिका की प्राप्ति, प्रदाय, शेष स्कंध एवं उपयोग की गई तौल पुस्तिका की वापसी आदि) मंडी समिति द्वारा संधारित किया जाएगा एवं तौल पर्ची (पुस्तिका) के उपयोग के संबंध में मासिक समीक्षा भी की जाएगी। **(ख)** तौल पर्ची में क्रेता व्यापारी का नाम तथा जिस दर से कृषि उपज नीलाम में क्रय की गई है, भी अंकित की जाएगी।	**तौलकांटे से जारी इलेक्ट्रानिक तौल पर्ची मान्य होगी।** **(क)** तौल पर्ची (पुस्तिका) तुलैयों को दिए जाने के पूर्व इसका पूर्ण अभिलेख (तौल पर्ची पुस्तिका की प्राप्ति, प्रदाय, शेष स्कंध एवं उपयोग की गई तौल पुस्तिका की वापसी आदि) मंडी समिति द्वारा संधारित किया जाएगा एवं तौल पर्ची (पुस्तिका) के उपयोग के संबंध में मासिक समीक्षा भी की जाएगी। **(ख)** तौल पर्ची में क्रेता व्यापारी का नाम तथा जिस दर से कृषि उपज नीलाम में क्रय की गई है, भी अंकित की जाएगी। **ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से विपणन कार्य के संबंध में प्रावधान -** **इलेक्ट्रॉनिक** अनुबंध जारी होने के उपरांत **उपविधि कंडिका 16 अनुसार** तौल की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी जिसके पश्चात अनुज्ञप्तिधारी तुलैया अथवा मंडी समिति द्वारा स्थापित तौलकांटे/ **बी.ओ.टी. तौलकांटे के संचालक** द्वारा **प्ररूप - तीन** में तौल पर्ची जारी की जाकर, **ई-मंडी पोर्टल** पर वास्तविक वजन की प्रविष्टि की जाएगी। वास्तविक वजन की प्रविष्टि करते समय **इलेक्ट्रॉनिक** प्रवेश पर्ची का क्रमांक अथवा **इलेक्ट्रॉनिक** अनुबंध पत्र का क्रमांक फीड करने पर संव्यवहार का पूर्ण विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी तुलैया अथवा मंडी समिति द्वारा स्थापित तौलकांटों / **बी.ओ.टी. तौलकांटों के संचालक** द्वारा वास्तविक वजन की प्रविष्टि मात्र की जाएगी।

उपविधि संशोधन		
		ई-मंडी में जहां पर अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया का पालन संभव नहीं हो, वहां पर अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा पूर्ववत मैन्युअल तौल पर्ची तीन प्रतियों में जारी की जाएगी जिसके आधार पर मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा वास्तविक वजन की प्रविष्टि ई-मंडी पोर्टल पर की जाएगी।
	(4) अनुबंध पत्रक/ सौदा पत्रक एवं तौल पर्ची के आधार पर क्रेता द्वारा विक्रेता/ कृषक के पक्ष में क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी रंग की तीन प्रतियों में संशोधित भुगतान पत्रक निष्पादित किया जाएगा। प्ररूप - चार सफेद प्रति मूल प्रति होगी शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता/ कृषक को तथा गुलाबी रंग की प्रति मंडी समिति को यथासंभव उसी दिन अथवा यथाशीघ्र आगामी कार्य दिवस मे प्रस्तुत की जाएगी। विक्रेता/ कृषक को भुगतान प्राप्ति की पुष्टि होने के उपरांत ही संबंधित क्रेता व्यापारी से कृषि उपज पर मंडी फीस प्राप्त कर, अनुज्ञा पत्र जारी, निकासी की अनुमति दी जा सकेगी। (क) यदि क्रेता व्यापारी कम्प्यूटर आधारित (डिजिटल) भुगतान पत्रक जारी करता है तो मंडी समिति द्वारा भुगतान पत्रक क्रमांक हेतु यूनिक नंबर प्रदान किया जाएगा। क्रेता व्यापारी तीन प्रतियों में भुगतान पत्रक जारी कर सकेंगे। प्रथम प्रति मंडी को, द्वितीय प्रति विक्रेता को तथा तृतीय प्रति क्रेता को दिया जाएगा।	(4) अनुबंध पत्रक एवं तौल पर्ची के आधार पर क्रेता द्वारा विक्रेता / कृषक के पक्ष में क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी रंग की तीन प्रतियों में **भुगतान पत्रक** निष्पादित किया जाएगा। **प्ररूप - चार** सफेद प्रति मूल प्रति होगी, शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता / कृषक को तथा गुलाबी रंग की प्रति मंडी समिति को यथासंभव उसी दिन अथवा यथाशीघ्र आगामी कार्य दिवस मे प्रस्तुत की जाएगी। विक्रेता / कृषक को भुगतान प्राप्ति की पुष्टि होने के उपरांत ही संबंधित क्रेता व्यापारी से कृषि उपज पर मंडी फीस प्राप्त कर, अनुज्ञा पत्र जारी, निकासी की अनुमति दी जा सकेगी। (क) यदि क्रेता व्यापारी कम्प्यूटर आधारित (डिजिटल) भुगतान पत्रक जारी करता है तो मंडी समिति द्वारा भुगतान पत्रक क्रमांक हेतु यूनिक नंबर प्रदान किया जाएगा। क्रेता व्यापारी तीन प्रतियों में भुगतान पत्रक जारी कर सकेंगे। प्रथम प्रति मंडी को, द्वितीय प्रति विक्रेता को तथा तृतीय प्रति क्रेता को दिया जाएगा। **<u>ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से विपणन कार्य के संबंध में प्रावधान</u>** - इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध पत्रक में तय मूल्य एवं वास्तविक वजन के आधार पर क्रेता व्यापारी द्वारा ई-मंडी पोर्टल पर विक्रेता / कृषक के पक्ष में **प्ररूप - चार**

उपविधि संशोधन			
			में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक निष्पादित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक जारी करते समय क्रेता व्यापारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश पर्ची / इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध पत्र का क्रमांक फीड करने पर संव्यवहार का पूर्ण विवरण क्रेता व्यापारी को प्रदर्शित हो जाएगा। क्रेता व्यापारी को केवल हम्माली-तौल के प्रभारों की प्रविष्टि करनी होगी। हम्माली-तौल के प्रभार, स्वतः अद्यतन होना भी सुनिश्चित कराया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक का प्रिंटआउट विक्रेता / कृषक को प्रदान किया जाएगा। विक्रेता/ कृषक को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक का संक्षिप्त विवरण तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक की विस्तृत पीडीएफ प्रति डाउनलोड करने हेतु लिंक भी SMS या अन्य तत्काल संदेश सेवा के माध्यम से प्राप्त होगा। इसके उपरांत संबंधित कृषक का भुगतान किया जाकर तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक पर कृषक के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसकी सूचना मंडी समिति को यथासंभव उसी दिन अथवा यथाशीघ्र आगामी कार्य दिवस मे **ई-अनुज्ञा पोर्टल / ई-मंडी पोर्टल पर** प्रस्तुत की जाएगी। विक्रेता / कृषक को भुगतान प्राप्ति की पुष्टि होने के उपरांत तथा संबंधित क्रेता व्यापारी से कृषि उपज पर मंडी फीस प्राप्त कर, अनुज्ञा पत्र जारी करने, निकासी की अनुमति दी जा सकेगी। संबंधित विक्रेता / कृषक को भुगतान होना सुनिश्चित करने हेतु OTP भी प्रेषित किया जिसका सत्यापन भुगतान हो जाने का प्रमाण होगा।
(5)	क्रेता द्वारा विक्रेता/ कृषक को उसी दिन पूर्ण भुगतान सनिश्चित	(5)	(क) क्रेता द्वारा विक्रेता/ कृषक को उसी दिन पूर्ण भुगतान नगद भुगतान

उपविधि संशोधन		
	किया जाएगा। नगद भुगतान तथा आरटीजीसी/ एनईएफटी/ ऑनलाईन बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित जाएगा। जिसके विवरण का स्पष्ट उल्लेख संशोधित भुगतान पत्रक प्रारूप-चार के कॉलम क्रमांक-10 मे स्पष्ट अंकित किया जाएगा। विक्रेता/ कृषक को भुगतान के आधार पर क्रेता द्वारा विक्रेता को उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा मे अधिनियम की धारा 37(2) के अनुसार आगामी मूल्य दिन का एक प्रतिशत की दर से पांच दिन तक 05 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान देय होगा। क्रय के दिन से 05 दिन के भीतर भुगतान नहीं किए जाने पर छंटवे दिन, अनुज्ञप्ति संबंधित क्रेता की रद्द समझी जाएगी तथा उसे या उसके नातेदार (अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के स्पष्टीकरण मे विनिर्दिष्ट अभिप्रेत अनुसार) को ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी। जिसका स्पष्ट उल्लेख संशोधित भुगतान पत्रक प्ररूप - चार के नोट मे अंकित जाएगा।	तथा आरटीजीसी/ एनईएफटी/ ऑनलाईन बैंक ट्रांसफर आदि डिजिटल बैंकिंग माध्यमों के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित जाएगा। जिसके विवरण का स्पष्ट उल्लेख भुगतान पत्रक प्ररूप-चार के **कॉलम क्रमांक-14 व क्रमांक-15** मे स्पष्ट अंकित किया जाएगा। विक्रेता / कृषक को भुगतान के आधार पर क्रेता द्वारा विक्रेता को उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा मे अधिनियम की धारा 37(2) के अनुसार आगामी प्रत्येक दिन का एक प्रतिशत की दर से पांच दिन तक मूल्य का 5 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान देय होगा। क्रय के दिन से 5 दिन के भीतर भुगतान नहीं किए जाने पर छठवे दिन, संबंधित क्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द समझी जाएगी तथा उसे या उसके नातेदार (अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण मे विनिर्दिष्ट अभिप्रेत अनुसार) को ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी। जिसका स्पष्ट उल्लेख **भुगतान पत्रक प्ररूप - चार** के नोट मे अंकित जाएगा। **(ख) क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रेता / कृषक को निर्धारित समय-सीमा में नगद भुगतान एवं डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से भुगतान का विवरण ई-अनुज्ञा पोर्टल / ई-मंडी पोर्टल पर** यथासंभव उसी दिन अथवा यथाशीघ्र आगामी कार्य दिवस **में प्रविष्ट किया जाएगा।** (ग) **इसमें विलंब होने पर संबंधित क्रेता व्यापारी को आगामी व्यापार हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, संबंधित क्रेता व्यापारी की ई-अनुज्ञा आईडी, कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए डिएक्टिव की जाएगी।**

उपविधि संशोधन		
		(घ) सचिव या उसके द्वारा अधिकृत मंडी कर्मचारी द्वारा ई-अनुज्ञा पोर्टल / ई-मंडी पोर्टल पर भुगतान पत्रकों का सत्यापन, विक्रेता/ कृषक को नगद भुगतान एवं डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से भुगतान हो जाना सुनिश्चित कर लेने के उपरांत ही, किया जाएगा। तदुपरांत मंडी शोध्यों का भुगतान सुनिश्चित कर लेने के उपरांत ही कृषि उपज निकासी/ ई-अनुज्ञा की अनुमति दी जाएगी। (ङ) भुगतान पत्रक का सत्यापन करते समय, विक्रेता / कृषक को डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से भुगतान की स्थिति में विक्रेता/ कृषक के बैंक खाते का विवरण एवं संव्यवहार के UTR नंबर की पूर्ण प्रविष्टि एवं मिलान करने के उपरांत ही भुगतान पत्रक का सत्यापन किया जाएगा। (च) विक्रेता / कृषक कृषि उपज का मूल्य प्राप्त न होने पर, मंडी समिति को 05 कार्यदिवस के अंदर शिकायत कर सकेगा। सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी ऐसी शिकायत की जांच कर, अधिनियम की धारा 17 एवं धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार, क्रेता व्यापारी से लंबित भुगतान की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करेगा। (छ) पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की स्थिति में प्रभावी प्रावधान - क्रेता व्यापारी द्वारा अपने ई-अनुज्ञा पोर्टल / ई-मंडी पोर्टल लॉगिन पर पेमेंट गेटवे के माध्यम से विक्रेता / कृषक को ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। पेमेंट गेटवे द्वारा कृषक भुगतान को Success प्रतिवेदित किए जाने पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। कृषक के बैंक खाते में

उपविधि संशोधन			
			भुगतान, बैंकिंग व्यवस्था के नियमों के अनुरूप शीघ्रतम सेटलमेंट के आधार पर अंतरित होगा। **पेमेंट गेटवे द्वारा कृषक भुगतान की पुष्टि करने के उपरांत संबंधित क्रेता व्यापारी कृषि उपज पर देय मंडी फीस/ निराश्रित सहायता राशि का उक्त प्रक्रिया अनुसार ही ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे तथा पेमेंट गेटवे द्वारा मंडी फीस / निराश्रित सहायता राशि के भुगतान की पुष्टि करने के उपरांत ऑनलाइन अनुज्ञा पत्र जारी कर कृषि उपज की निकासी कर सकेंगे।** **पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की स्थिति में भुगतान पत्रक के सत्यापन की कोई आवश्यकता शेष नहीं होगी।**
(6)	अनुबंध/ सौदा पत्रक के निष्पादन के बाद बेची गई कृषि उपज के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।	(6)	अनुबंध के निष्पादन के बाद बेची गई कृषि उपज के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
(7)	अनुबंध/ सौदा पत्रक में उल्लेखित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति कृषि उपज क्रय नहीं करेगा इस पर जानबूझकर ऐसा करने वाले क्रेता की अनुज्ञप्ति निलंबित / रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगी।	(7)	अनुबंध पत्रक में उल्लेखित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति कृषि उपज क्रय नहीं करेगा। इस पर जानबूझकर ऐसा करने वाले क्रेता **व्यापारी** की अनुज्ञप्ति/ विशेष अनुज्ञप्ति निलंबित / **निरस्त** किए जाने के दायित्वाधीन होगी।
(8)	अनुबंध/ सौदा पत्रक के निष्पादन के बाद क्रेता द्वारा क्रय की गई कृषि उपज की तौल या माप कराने से क्रेता, विक्रेता/ कृषक को सीधे इंकार नही कर सकेगा यदि उसे कोई आपत्ति है तो लिखित रूप में 5.00 रुपये शुल्क के साथ मंडी समिति में आवेदन प्रस्तुत करेगा। मंडी सचिव ऐसे आवेदन की संक्षिप्त जांच के बाद अपना विनिश्चय उसी दिन अंकित करेगा तथा क्रेता एवं विक्रेता/ कृषक दोनों को नोट कराएगा। कोई भी पक्ष जो सचिव के विनिश्चय से असंतुष्ट होगा 10.00 रुपये शुल्क के साथ मंडी समिति के अध्यक्ष को अपील	(8)	अनुबंध के निष्पादन के बाद क्रेता **व्यापारी** द्वारा क्रय की गई कृषि उपज की तौल या माप कराने से क्रेता **व्यापारी**, विक्रेता / कृषक को सीधे इंकार नही कर सकेगा। यदि उसे कोई आपत्ति है तो लिखित रूप में मंडी समिति में आवेदन प्रस्तुत करेगा। सचिव **या उसके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** ऐसे आवेदन की संक्षिप्त जांच के बाद अपना विनिश्चय उसी दिन अंकित करेगा तथा क्रेता **व्यापारी** एवं विक्रेता / कृषक दोनों को नोट कराएगा। कोई भी पक्ष जो सचिव **या उसके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** के विनिश्चय से असंतुष्ट होगा मंडी समिति के अध्यक्ष / **भारसाधक अधिकारी** को अपील करेगा। अध्यक्ष /

उपविधि संशोधन		
	करेगा। अध्यक्ष दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के पश्चात अपने विवेक से उपयुक्त जांच के बाद अपना निर्णय पारित करेगा। दोनों पक्षों में से यदि कोई भी असंतुष्ट होगा तब लिखित आपत्ति प्रस्तुत करेगा एवं पूरा प्रकरण मंडी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। मंडी समिति का निर्णय अंतिम होगा।	**भारसाधक अधिकारी** दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के पश्चात अपने विवेक से उपयुक्त जांच के बाद अपना निर्णय पारित करेगा। दोनों पक्षों में से यदि कोई भी असंतुष्ट होगा तब लिखित आपत्ति प्रस्तुत करेगा एवं पूरा प्रकरण मंडी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। मंडी समिति का निर्णय अंतिम होगा। **निर्वाचित समिति के अस्तित्व में नहीं होने पर भारसाधक अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।**
17-क	**नवीन प्रावधान**	**17-क. एमपी फार्मगेट एप के माध्यम से व्यापार प्रक्रिया के लिए लागू अतिरिक्त प्रावधान-** (1) **एमपी फार्मगेट एप पर मंडी के द्वारा विक्रेता कृषकों को पंजीकृत किया जाएगा, गैर-पंजीकृत विक्रेता कृषकों के लिए पंजीयन लगातार खुला रहेगा। संबंधित विक्रेता कृषकों को स्वयं पंजीयन कर सकने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।** **उक्त पंजीयन में विक्रेता कृषक का मोबाइल नंबर एवं बैंक खाते का विवरण अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश यथास्थिति प्रभावशील होंगे।** **एमपी फार्मगेट एप पर किए गए पंजीयन तथा ई-मंडी एप पर किए गए पंजीयन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध रहेंगे।** (2) मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण के बाहर मंडी क्षेत्र के किसी स्थान पर, **एमपी फार्मगेट एप** पर पंजीकृत विक्रेता कृषक, स्वयं के लॉगिन कर, विक्रय हेतु उपलब्ध स्वयं की अधिसूचित कृषि उपज का विवरण (समय-समय पर

उपविधि संशोधन		
		यथानिर्देशित जानकारी) की प्रविष्टि कर सकेंगे। (3) उक्त विवरण मोबाईल एप पर क्रेता व्यापारियों के **एमपी फार्मगेट एप** लॉगिन पर उपलब्ध होगा। (4) क्रेता व्यापारी और पंजीकृत विक्रेता कृषक, मोबाइल एप पर उपलब्ध संपर्क सूत्र की सहायता से आपस में संपर्क कर सकेंगे और विक्रय संव्यवहार निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेंगे। (5) उक्त प्रक्रिया में भाव, क्रेता व्यापारी और पंजीकृत विक्रेता कृषक की आपसी सहमति से तय होगा। **एमपी फार्मगेट एप** पर मंडी भावों की अद्यतन जानकारी सदैव उपलब्ध रहेगी, इस प्रकार विक्रेता कृषक अपनी उपज विक्रय के संबंध में सोचसमझकर निर्णय कर सकेंगे। (6) उक्तानुसार विक्रय संव्यव्हार में ऑनलाइन सौदा पत्रक निष्पादित होने पर, पंजीकृत विक्रेता कृषक को SMS के माध्यम से एक OTP भेजा जाएगा जिसमें आपसी सहमति से तय भाव का उल्लेख रहेगा। विक्रय की पुष्टि के लिए पंजीकृत विक्रेता कृषक द्वारा स्वयं के लॉगिन पर अथवा क्रेता व्यापारी के लॉगिन के माध्यम से, मोबाईल एप पर OTP की प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। उक्त कार्यवाही के उपरांत ही विक्रय संव्यवहार निष्पादन प्रक्रिया पूर्ण होगी। (7) परस्पर सहमति के आधार पर ऐसे सौदे के संबंध में पंजीकृत विक्रेता कृषक एवं क्रेता व्यापारी द्वारा एमपी फार्मगेट एप पर ऑनलाइन सौदा निष्पादित कर, ऑनलाइन सौदा पत्रक प्ररूप - दो में जारी होगा। ऑनलाइन सौदा पत्रक

उपविधि संशोधन		
		की प्रति पंजीकृत विक्रेता कृषक एवं क्रेता व्यापारी के एप लॉग इन पर उपलब्ध होगी। (8) ऑनलाइन सौदा पत्रक के निष्पादन के बाद बेची गई कृषि उपज के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। (9) ऑनलाइन सौदा पत्रक में उल्लेखित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति कृषि उपज क्रय नहीं करेगा। इस पर जानबूझकर ऐसा करने वाले क्रेता **व्यापारी** की अनुज्ञप्ति/ विशेष अनुज्ञप्ति निलंबित / **निरस्त** किए जाने के दायित्वाधीन होगी। (10) **एमपी फार्मगेट एप पर** ऑनलाइन सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज की **तौल ऑनलाइन सौदा निष्पादन स्थान अर्थात विक्रेता / कृषक के खेत पर या घर पर या निकटस्थ तौल व्यवस्था वाले स्थान पर अथवा विक्रेता / कृषक एवं क्रेता व्यापारी की आपसी सहमती से नियत स्थान पर, यथानिर्देशित प्रक्रिया अनुसार** क्रेता व्यापारी के द्वारा स्वयं के व्यय पर कराई **जाएगी।** तौलकांटे से जारी इलेक्ट्रानिक तौल पर्ची मान्य होगी। पंजीकृत विक्रेता कृषक से किसी भी प्रकार की हम्माली और तौल का व्यय देय नहीं होगा। यह भी कि तौल के लिए **कृषक के खेत या घर से निकटस्थ तौल व्यवस्था वाले स्थान तक कृषि उपज के परिवहन पर कोई भी व्यय विक्रेता / कृषक द्वारा देय नहीं होगा और न ही विक्रेता / कृषक को संदेय विक्रय मूल्य में से काटा जाएगा।**

उपविधि संशोधन		
		(11) तौल हो जाने पर, वास्तविक वजन की प्रविष्टि, **एमपी फार्मगेट एप पर** क्रेता व्यापारी के द्वारा की जाएगी। (12) उक्तानुसार वास्तविक वजन की प्रविष्टि के उपरांत पंजीकृत विक्रेता कृषक को देय विक्रय मूल्य निर्धारित होगा, जिसमें से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। (13) ऑनलाइन सौदा पत्रक के आधार पर क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रेता / कृषक के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक निष्पादित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक का प्रिंटआउट विक्रेता/ कृषक को प्रदान किया जाएगा। विक्रेता/ कृषक को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक का संक्षिप्त विवरण तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक की विस्तृत पीडीएफ प्रति डाउनलोड करने हेतु लिंक भी SMS या अन्य तत्काल संदेश सेवा के माध्यम से प्राप्त होगा। इसके उपरांत संबंधित कृषक का भुगतान किया जाकर तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक पर कृषक के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसकी सूचना मंडी समिति को यथासंभव उसी दिन अथवा यथाशीघ्र आगामी कार्य दिवस मे ई-अनुज्ञा पोर्टल / ई-मंडी पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी। (14) विक्रेता/ कृषक को भुगतान प्राप्ति की पुष्टि होने के उपरांत तथा संबंधित क्रेता व्यापारी से कृषि उपज पर मंडी फीस प्राप्त कर, अनुज्ञा पत्र जारी, निकासी की अनुमति दी जा सकेगी। भुगतान पत्रक का सत्यापन के संबंध में उपविधि कंडिका 17(5) के प्रावधान लागू होंगे। (15) पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की स्थिति में प्रभावी प्रावधान-

उपविधि संशोधन		
		एमपी फार्मगेट एप पर ऑनलाइन सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज का **पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किये जाने के संबंध में उपविधि कंडिका 17(5)(छ) के प्रावधान लागू होंगे।**
17-ख	**नवीन प्रावधान**	**17-ख. ई-नाम पोर्टल के माध्यम से व्यापार प्रक्रिया के लिए लागू अतिरिक्त प्रावधान-** **ई-नाम** मंडी प्रांगणों में अधिसूचित कृषि उपज का विपणन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार संपन्न होगा।

नोट - उपविधि 16(7) के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है, इस उपविधि के प्रावधान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के पालन में कार्यवाही की जाएगी।

24/07/15

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल